

अल्पसंख्यक वर्ग (Min.) के छात्रों के छात्रवृत्ति फॉर्मों में संशोधन से संबंधित सूचना

अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र-छात्राएँ जिनके द्वारा महाविद्यालय में छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करते समय छात्र द्वारा स्वयं का आय-प्रमाण संलग्न किया है तथा ऑनलाइन विवरण फॉर्म में भरवाया गया है ऐसे छात्र अपने माता-पिता या अभिभावक का आय प्रमाण का विवरण छात्रवृत्ति फॉर्म में भरवा लें, ऐसे छात्रों को दिनांक 05 फरवरी से दिनांक 10 फरवरी तक शासन द्वारा छात्रों के आवेदन पत्र संशोधन करने का अवसर प्रदान किया गया है तथा उक्त तिथि के अंतर्गत छात्रों द्वारा फॉर्म भरवाते समय किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई है तो उसे भी संशोधन करा लें साथ ही छात्र अपना करेंट स्टेटस ऑनलाइन चैक कर लें कि आपके अन्तिम वर्ष के परिणाम (Result) के अंक सही भरे गये हैं अथवा नहीं तो ऐसे छात्र अपने परिणाम (Result) के अनुसार अपने अंको को सही भर लें अन्यथा की स्थिति में छात्रवृत्ति न आने की दशा में छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।



(प्रो० मुकेश कुमार भारद्वाज)
प्राचार्य

नोट:- छात्र द्वारा जिस विवरण को संशोधित किया गया है ऐसे छात्र संशोधित फाइनल प्रिंट के साथ संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें एवं संशोधित फॉर्मों को महाविद्यालय में जमा करने हेतु सूचना को उक्त अंतिम तिथि के पश्चात् नोटिस बोर्ड एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर चस्पा कर दिया जायेगा।